न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-25/2021

राज्य

बनाम्

मुकेश यादव

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2317/अप0शा0 दिनांक 30.11.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या 76/2021 दिनांक–25.04.2021 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या–JH19B-1271 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि वादि कुन्दन कुमार, पु0अ0नि0, बालूमाथ थाना के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–76/2021 दिनांक 25.04.2021 दर्ज किया गया। वादि कुन्दन कुमार, पु0अ0नि0, बालूमाथ थाना को दिनांक 24.04.2021 करीब 19:30 बजे गुप्त सूचना मिला कि ट्रक रजि0 संख्या–JH19B-1271 में चमातू कोलयरी के कांटा घर संख्या–16 से लदा कोयला को कांटा करा कर कांटा घर संख्या–15 के सामने तालाब के पास खड़ी है। जिसका सत्यापन हेतु 15 नं0 कांटा घर के तलाब के पास पहुंचा तो वादी के द्वारा पाया गया कि ट्रक रजि0 नं0–JH19B-1271 खड़ी है। ट्रक के चालक से सम्पर्क कर ट्रक में लदे कोयले के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। उक्त ट्रक के चालक मुकेश यादव ने ट्रक पर लदे कायेले का कागजात प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त ट्रक में लदा कोयला जिसका वाहन सहित वजन कुल 35990 कि0ग्रा0 है। जब कोयला डिपु के

निकासी के समय कांटा घर संख्या–16 में सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रक के साथ लदा कोयला का वजन 42860 कि0ग्रा0 पाया गया। गाड़ी में अधिक कोयला के सम्बंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन में लदा कोयला दस्तावेज से 6870 कि0ग्रा0 अधिक पाया गया। तत्पश्चात् बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–76/2021 दिनांक 25.04.2021 दर्ज किया गया। प्राथमिकी, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं साक्षियों का बयान, जप्ती सूची, अबतक के अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–दो में काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH19B-1271 के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी ट्रक रजि0 संख्या–JH19B-1271 के मालिक हैं एवं वाहन को भाड़े में चलाते हैं। विजय ट्रेडिंग द्वारा मगध ओ0सी0पी0, एम0/एस0 सी0सी0एल0 बालूमाथ से 24.770 एम0टी0 खरीद कर आवेदक के ट्रक में लोड कराया तथा लोड करने के पश्चात् कोयला डीपू निकासी के समय कांटा घर संख्या–16 में सत्यापित किया गया, जिसका गाड़ी सहित कोयला का कुल वजन 35,990 कि0ग्रा0 पाया गया तत्पश्चात् आवेदक अपनी गाड़ी को कांटा घर संख्या–15 के सामने तालाब के पास खड़ा किया था, जहां पर पु0अ0नि0 कुन्दन कुमार के द्वारा गाड़ी एवं कोयले का कागजात मांगने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया। परन्तु आवेदक के कागजातों पर विश्वास नहीं करते हुए पुनः कांटा घर संख्या–16 में गाड़ी एवं कोयले का तौल कराने पर पाया गया कि गाड़ी सहित कोयला का वजन 42,860 कि0ग्रा0 था तथा खरीदगी कोयला से अधिक 6,870 कि0ग्रा0 पाया गया। सूचक द्वारा गाड़ी सहित कोयले का कोई तौल कांटा घर संख्या–16 में नहीं कराया गया था। सूचक द्वारा जान–बूझकर गलत माप दिखाते हुए आवेदक का गाड़ी जप्त कर उसके विरूद्ध बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–76/2021 दिनांक 24.04.2021 धारा–373/411/120बी0 भा0द0वि0 और 21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट एवं 13 झारखण्ड मिनिरल रूल–2017 दर्ज किया गया। वाहन में उतना ही कोयला लदा था जितने कोल डिपू से लादा गया था, उससे अधिक कोयला गाड़ी में नहीं था। विपक्षी को कोयला से कोई

सरोकार न था और न है, चूंकि कोयला विजय ट्रेडिंग के द्वारा गाड़ी में लोड कराया गया था और उसकी पूर्ण जिम्मेवारी विजय ट्रेडिंग की थी। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–76/2021 मुख्य न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है तथा जबतक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाता है, तबतक न्याय हित में गाड़ी को राजसात घोषित करना उचित नहीं है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या–JH19B-1271 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः ट्रक रजि0 संख्या–JH19B-1271 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन तथा उसपर लदे अवैध कोयला खनिज की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

20/04/23

उपायुक्त,
लातेहार।

20/04/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 17:02:58 +05:30
Location: 10.93.47.5